भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1669

दिनांक 21.12.2022 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

1669# श्री नीरज डांगी:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में सरकार की अब तक की नीति क्या है;

(ख) वर्तमान में कम्प्यूटरीकरण हेतु शेष बची हुई ग्राम पंचायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में धीमी प्रगति के लिए जिम्मेदार कारकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण की गति में तेजी लाने के लिए उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) (ख) और (घ) 'पंचायत' राज्य का विषय होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराना राज्यों का प्रमुख दायित्व है। हालांकि, दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2026 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत, ग्राम पंचायतों के कार्यों में सहयोग करने के लिए योजना के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तावित ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर प्रदान करके सभी राज्यों के प्रयासों को सहारा दिया जाता है | इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए भी किया जा सकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 271245 ग्राम पंचायतों (जीपी)/पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) में से 51881 ग्राम पंचायतों को अभी कम्प्यूटरीकृत किया जाना है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में संलग्न हैं।

(ग) ग्राम पंचायत स्तर पर बिजली की आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्याप्त कंप्यूटर-प्रशिक्षित जनशक्ति, वित्तीय संसाधनों आदि की उपलब्धता के आधार पर राज्यों में ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के स्तर में भिन्नता है।

****

अनुबंध

दिनांक 21/12/2022 को उत्तरार्थ राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1669 के भाग (क) (ख) और (घ) के उत्तर से संबंधित अनुबंध

कंप्यूटर के बिना ग्राम पंचायतों (GPs) / पारंपरिक स्थानीय निकायों (TLBs) की संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	ग्राम पंचायतों (जीपी)/ पारंपरिक स्थानीय निकाय (टीएलबी) की संख्या	बिना कंप्यूटरों के ग्राम पंचायतों / टीएलबी की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70	0
2	आंध्र प्रदेश	13371	3308
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	1803
4	असम	2666	1510
5	बिहार	8173	1483
6	छत्तीसगढ़	11658	4614
7	गोवा	191	0
8	गुजरात	14257	0
9	हरियाणा	6225	4500
10	हिमाचल प्रदेश	3615	334
11	जम्मू और कश्मीर	4291	318
12	झारखंड	4352	829
13	कर्नाटक	5975	0
14	केरल	941	0
15	लद्दाख	193	63
16	लक्षद्वीप	10	0
17	मध्य प्रदेश	22741	0
18	महाराष्ट्र	27897	1000
19	मणिपुर	3818	60
20	मेघालय	9005	1677
21	मिजोरम	834	591
22	नागालैंड	1288	739
23	ओडिशा	6798	0
24	पुदुचेरी	108	8

25	पंजाब	13263	5937
26	राजस्थान	11341	1049
27	सिक्किम	185	185
28	तमिलनाडु	12525	2425
29	तेलंगाना	12769	8333
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	0
31	त्रिपुरा	1219	714
32	उत्तर प्रदेश	58189	10401
33	उत्तराखंड	7791	0
34	पश्चिम बंगाल	3340	0
	कुल	271245	51881

***